

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 69/2022
दायर दिनांक :- 05.04.2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/227
निर्णय दिनांक :- 28.01.2025

1. अणदाराम पुत्र भूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. हड़मानराम पुत्र भूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. भूराराम पुत्र सूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955



- उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता वादी
2 श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1
3 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5 रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के दादा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता सूराराम के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी। प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से जरिये विरासत नामान्तरकरण के प्राप्त हुई। उक्त वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति है जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है जिस पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पैतृक हिस्से अनुसार कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादीगण ने अपने पैतृक हिस्से की भूमि पर अपनी अलग अलग रहवासीय ढाणी, पानी के टांके इत्यादि बना रखे हैं। उक्त रहवासीय ढाणियों में वादीगण बारह ही मास अपने परिवार सहित निवास करते आ रहे हैं। इसलिये वादीगण ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5 रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026

20/01/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद रफीक ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया कि वादीगण का वाद माफिक इस्तदुआ डिकी किया जावे। प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वाद का विरोध नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादीगण साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम कानासर के खाता संख्या 369 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में भूमि दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की आराजी भूमि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5 रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजी भूमि हमारी जददी जायदाज है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया है, इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाये। वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवदेन किया है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5 रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। पैतृक सम्पति होने से वादीगण का हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने घोषणा बाबत् सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरान के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5

A
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



28.01.25
(सुखाराम मिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
बाप (फलोदी)
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप
बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. अणदाराम पुत्र भूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. हड़मानराम पुत्र भूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण.....

बनाम

1. भूराराम पुत्र सूराराम जाति विश्नोई निवासी कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा संख्या :- 69/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि ग्राम कानासर पटवार हल्का कानासर तहसील बाप में स्थित खसरा नम्बर 1587/5 रकबा 3.7879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1652/1 रकबा 0.1133 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1688 रकबा 0.1781 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1695/1 रकबा 0.3318 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1707/1 रकबा 4.7024 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/3 रकबा 1.6026 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 963/1 रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्

फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2025 को जारी की गई।



(Signature)
सहायक कलक्टर (मुकदमा) बाप (फलोदी)
(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।